

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

सं०सं०:- 4/स्था० (विविध) मु० 06-25/2021(पार्ट-I)

/पटना, दिनांक

प्रेषक,

उप सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, सभी उपभाग

विभाग (मुख्यालय) अन्तर्गत सभी कोषांग/प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय :- वर्ग-‘ग’ एवं वर्ग-‘घ’ के कर्मियों, जिनकी पूर्ण स्थापना और प्रशासनिक नियंत्रण विभाग में सन्निहित है, के ACP/MACP का लाभ प्रदान करने हेतु विहित प्रपत्र में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागान्तर्गत पदस्थापित वर्ग-‘ग’ एवं वर्ग-‘घ’ के वैसे कर्मी, जिनकी पूर्ण स्थापना और प्रशासनिक नियंत्रण विभाग में सन्निहित है, को सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन ACP नियमावली-2003 के अधीन 12/24 वर्ष की नियमित सेवा एवं रूपांतरिक सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन (MACP) नियमावली-2010 के अधीन 10/20/30 वर्ष की नियमित सेवा के फलस्वरूप ACP/MACP प्रदान करने निमित्त विभागीय स्क्रीनिंग समिति के समक्ष विचारण हेतु विहित प्रपत्र में वांछित सूचना शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(संजीव कुमार)

उप सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

/पटना, दिनांक 03/7/2

ज्ञापांक:- 4486 5

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइड पर Upload करने हेतु प्रेषित।

[Handwritten signature]
31/7/2026

उप सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

[Handwritten signature]
02.07.26